कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री रवि मिश्रा, एडवोकेट, पता– म.नं. 2–डी–15, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, झालावाड, पुलिस थाना कोतवाली झालावाड, जिला झालावाड राजस्थान

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा/उपखंड अधिकारी सिकराय

अपील संख्या 44/2024

निर्णय दिनांक 22.08.2024

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को प्राप्त पत्रादि की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांट को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदान किये गये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को पत्र क्रमांकः डीएम/कोर्ट/2024/2767 दिनांक 06.082024 के द्वारा अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दौसा ने पत्र क्रमांकः आरटीआई/2024/561 दिनांक 08.08.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना उपखंड अधिकारी सिकराय से संबंधित होने से पत्र क्रमांकः 450 दिनांक 28.6.2024 के द्वारा उपखंड अधिकारी सिकराय को स्थानान्तरित की जाकर आवेदक को सूचित किया गया था। लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी सिकराय ने पत्र क्रमांकःआरटीआई/2024/811 दिनांक 22.8.2024 के द्वारा अपीलांट को वांछित सूचना भिजवाते हुए प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। उक्त पत्रादि की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:13:41 IST
Reason: SelfAttested